बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 01/भू0अ0नि0 (3) वि0सर्वे0कानूनगो (फर्जी अभिलेख)– 32/2021 913 पटना, दिनांक : 22-04-2022

आदेश

निदेशालय ज्ञापांक–10253 दिनांक 20.07.2020 द्वारा श्री ऋषि कुमार यादव, (Emp. ID-SKN00636) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई को नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र की जांच/सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–4345 दिनांक 03.12.2021 एवं पत्रांक–288 दिनांक 10.02.2022 द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को भेजे गए पत्र के आलोक में Joint Director (Tech), Higher &Technical Education, & Secretary, Examination Committee, Mizoram State Council For Technical Education Mizoram: Aizawl. ने अपने पत्रांक–46011/6/2021-JDT(HTE) दिनांक 09.02.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि **"I have the honour to state that on checking our records, we don't have any pass out and final result students in the name of Rishi Kumar Yadav under Diploma in Civil Engineering. There is no Govt. Polytechnic Lungsen in Mizoram. This may be fake documts."** एतद संबंधी सत्यापन सूचना प्राप्त होने के बाद श्री यादव से फर्जी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई।

प्राप्त स्पष्टीकरण में इनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है, जो इनके प्रमाण–पत्र को वैध ठहराता हो। साथ ही गलत/फर्जी प्रमाण–पत्र ज्ञात होने पर इनके द्वारा त्याग–पत्र समर्पित किया गया है, जो उचित नहीं है। अतएव संबंधित संस्थान के सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री यादव, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो संविदा पद पर गलत/फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं। अतः प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन तथा Term of Assignment के कंडिका–4 (vi) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री ऋषि कुमार यादव, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, संविदा कर्मी का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) वि0सर्वे0कानूनगो (फर्जी अभिलेख)– 32/2021 913 पटना, दिनांक : 22-04-22

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि :–

1. फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजित कर्मी से अब तक की भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु कार्रवाई करें।
2. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करें।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) वि0सर्वे0कानूनगो (फर्जी अभिलेख)– 32/2021 913 पटना, दिनांक : 22-04-2022

प्रतिलिपि : श्री ऋषि कुमार यादव, (Emp. ID-SKN00636) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई (E-mail ID- rishi.kr.je@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Kavita-Y-2022\Bablu Ji\Order\32-2021-13-04-2022.doc